

विषय: विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 272 दिनांक 28.03.2025 माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछा गया।

इस संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है कि श्री विशेष रवि, विधायक द्वारा पूछे गये विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 272 का उत्तर निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क.	दरबार रेस्टोरेंट व मद्रास रेस्टोरेंट पहाड़गंज द्वारा फूड वेस्ट को सीवर लाइन में डालने के संबंध में कार्रवाई हेतु लिखित पत्र संख्या 127322 दिनांक 10/09/2024 पर क्या कार्रवाई की गई है;	दिनांक 10.09.2024 के पत्र के संदर्भ में कहा गया है कि दरबार रेस्टोरेंट डीपीसीसी से वैध सहमति लेकर चल रहा है और पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। दूसरे रेस्टोरेंट के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि मद्रास रेस्टोरेंट, चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज के नाम से ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है।
ख.	यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदारी है; और	उपरोक्तानुसार।
ग.	उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई कब तक होगी?	उपरोक्तानुसार।

उत्तर को हिन्दी भाषा में तैयार किया गया एवं संलग्न है दिल्ली विधानसभा में जवाब भेजने के लिए अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

1343/R&E/Enr
22/03/2025

22/03/25
सांख्यिकीय सहायक

सांख्यिकीय अधिकारी

22-03-25

निदेशक (पर्या.)

संयुक्त सचिव (पर्या.)

22/3/25

विशेष सचिव (पर्या. एवं वन)/MS DPCC

विशेष सचिव (पर्या. एवं वन)

प्रधान सचिव (पर्या. एवं वन)

माननीय मंत्री (पर्या. एवं वन)

Reply of DPCC placed at page 7-10/c may be seen. Accordingly reply put up for kind perusal and approval, for

A.K. Singh
Pr. Secy. (E & F)

22.03.25
SS (E & F)

File Movement No. 30.
Dated 24-03-2025.
Off. Minister of Industries, F & S and Enr.
Forest & Wild Life
Govt. of NCT of Delhi

50 (2)

25/3/25
25/03/25
SA (Env)

Pr. Secretary (Env.)

25/03/25

पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002, दूरभाष : 011-23392306

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विशेष रवि
प्रश्न संख्या : 272
प्रश्न : अतारांकित
दिनांक : 28.03.2025

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क.	दरबार रेस्टोरेंट व मद्रास रेस्टोरेंट पहाड़गंज द्वारा फूड वेस्ट को सीवर लाइन में डालने के संबंध में कार्रवाई हेतु लिखित पत्र संख्या 127322 दिनांक 10/09/2024 पर क्या कार्रवाई की गई है;	दिनांक 10.09.2024 के पत्र के संदर्भ में कहा गया है कि दरबार रेस्टोरेंट डीपीसीसी से वैध सहमति लेकर चल रहा है और पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। दूसरे रेस्टोरेंट के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि मद्रास रेस्टोरेंट, चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज के नाम से ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है।
ख.	यदि नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई तथा उसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदारी है; और	उपरोक्तानुसार।
ग.	उपर्युक्त संबंध में कार्रवाई कब तक होगी?	उपरोक्तानुसार।

राजीव रंजन

Rajiv Ranjan
Joint Secretary
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sectt., New Delhi-02

पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

फा. सं०: एफ.14 (108)/पर्या./2025/8387-8390

दिनांक : 25.03.2025

सेवा में,

श्रीमान उप-सचिव (प्रश्न एवं समिति)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय: विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 272 दिनांक 28.03.2025 माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा पूछा गया।

महोदय,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ पत्र दिनांक 18.03.2025, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

भवदीय,

राजीव रंजन

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव (पर्या.)

संलग्न:- उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं०: एफ.14 (108)/पर्या./2025/8387-8390

दिनांक : 25.03.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
2. निजी सचिव (प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन्य विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 (संलग्न 150 प्रश्न-उत्तर की प्रतियां)।

राजीव रंजन

(राजीव रंजन)
संयुक्त सचिव (पर्या.)